

पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला

चर्चा में क्यों?

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 साल पहले पदोन्नति में आरक्षण पर दिये फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि इस पर फरि से वचिर करने तथर ऑकड़ें जुटरने की रवश्यकतर नहीं है। उच्चतम न्यररलय ने कहा कि 2006 में नरगररर मरमले में दयि गए उस फैसले को सरत सदस्यों वरली पीठ को संदरभति करने की जरूरत नहीं है, जसिमें अनुसूचति जरतथिों (SC) एवं अनुसूचति जनजरतथिों (ST) को नौकरथिों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लयि शर्तें तय की गई थीं।

पृष्ठभूमि

- 16 नवंबर, 1992 को इंदररि सरहनी मरमले में ओबीसी आरक्षण पर फैसलर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में दयि जर रहे आरक्षण पर सवल उठरए थे और इसे पॉच सरल के लयि ही लरगूर रखने कर रदेश दयि तर।
- तब से ही यह मरमलर वरविदों में है। हरलॉक 1995 में संसद ने 77वॉ संवधरन संशोधन पररति करके पदोन्नति में आरक्षण को जररी रखर।
- यह स्थिति नरगररर और अन्य बनरम भररत सरकरर मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले के बरद बदल गई।
- एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के एम नरगररर के फैसले में 2006 में पॉच जरों ने संशोधति संवधरनकि प्ररवधरन अनुच्छेद 16(4)(ए), 16(4)(बी) और 335 को तो सही ठहरररर तर लेकनि कोर्ट ने कहा तर कि एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकरर को उनके पछिड़ेपन और अपर्यरप्त प्रतनिधितिव के ऑकड़े जुटरने होंगे।
- उल्लेखनीय है कि न्यररलय ने तरजर फैसलर उन यरचकिओं के अधरर पर सुनरर, जसिमें कहा गरर तर कि नरगररर प्रकरण में संवधरन पीठ के 2006 के फैसले को फरि से वचिर के लयि सरत सदस्यीय संवधरन पीठ को सौंपर जर।
- दररसल, नरगररर प्रकरण में संवधरन पीठ ने एससी-एसटी कर्मचररथिों को नौकरथिों में पदोन्नति में आरक्षण कर लरभ दयि जरने के लयि शर्तें तय की थीं।
- गौरतलब है कि नरगररर मरमले में पॉच सदस्यीय संवधरन पीठ ने 2006 के अपने फैसले में कहा तर कि एससी-एसटी समुदरर के लोर्गों को नौकरथिों में पदोन्नति में आरक्षण दयि जरने से पहले ररजर सरकरर एससी-एसटी के पछिड़ेपन पर उनकी जनसंख्यर के ऑकड़े, सरकररी नौकरथिों में उनके अपर्यरप्त प्रतनिधितिव के बररे में तथ्य और समग्र प्रररसनकि दक्षतर पर जरनकररी मुहैयर कररने के लयि बरधय हैं।
- केंद्र और वभिनिन ररजर सरकररों ने वभिनिन अधररों पर इस फैसले पर फरि से वचिर करने कर अनुरोध कयि तर। इसमें एक अधरर यह तर कि एससी-एसटी समुदरर के लोर्गों को पछिड़ा मरनर जरतर है और जरत कि लेकर उनकी स्थिति पर वचिर करते हुए उन्हें नौकरथिों में पदोन्नति में भी आरक्षण दयि जरनर जरररि।
- केंद्र सरकरर ने कहा तर कि एम. नरगररर मरमले में एससी-एसटी कर्मचररथिों को पदोन्नति में आरक्षण कर लरभ दयि जरने हेतु गैर-जरररी शर्तें लगरई गई थीं। इसलयि केंद्र ने इस पर फरि से वचिर करने के लयि इसे बड़ी पीठ के परस भेजरने कर अनुरोध कयि तर।

नरिणय के प्रमुख बदि

- उच्चतम न्यररलय ने केंद्र सरकरर की यह अर्जर भी खररजि कर दी कि एससी/एसटी को आरक्षण दयि जरने में उनकी कुल ररबरदी पर वचिर कयि जर।
- मुख्य न्यरररधीश दीपक मशिरर की अधयक्षतर वरली पॉच सदस्यीय संवधरन पीठ ने एकमत से यह फैसलर सुनरर। इस संवधरन पीठ के अन्य सदस्यों में न्यररमूर्त कुरयिन जोसेफ, न्यररमूर्त रोहटिन नरीमन, न्यररमूर्त संजय कशिन कौल और न्यररमूर्त इंदु मलहोतरर शरमलि थे।
- इस मरमले में केंद्र सहति वभिनिन पक्षों को सुनने के बरद पीठ ने 30 अगस्त को अपना फैसलर सुरक्षति रख लयि तर।
- पीठ ने कहा कि एससी/एसटी कर्मचररथिों को नौकरथिों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लयि ररजर सरकररों को एससी/एसटी के पछिड़ेपन पर उनकी संख्यर बतरने वरलर ऑकड़र इकट्ठर करने की कोई जरूरत नहीं है।
- हरलॉकपीठ ने 2006 के अपने फैसले में तय की गई उन दो शर्तों पर टपिणी नहीं की जो पदोन्नति में एससी-एसटी के प्रतनिधितिव की पर्यरप्ततर और प्रररसनकि दक्षतर को नकरररतमक तौर पर प्ररवरति नहीं करने से जुड़े थे।
- अदरलत ने अपने नरिणय में न सरिफ 2006 में दयि गए अपने पुररने दशिर-नरिदेशों को खररजि कयि बलक यह भी कहा कि नरगररर नरिणय में दयि गए दशिर-नरिदेश 1992 के ऐतिहरसकि इंदररि सरहनी नरिणय के खलरिफ जरते हैं।

रगे की ररह

- वस्तुतः आरक्षण हमेशा से एक विवादित विषय रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद के दशकों में आरक्षण सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। वडिम्बना यह है कि भारत में उदयमति का अभाव है।
- ऐसे में हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है और अपनी सुविधानुसार आरक्षण की व्याख्या करता है।
- इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की नतिांत आवश्यकता है, कतिु एक सच यह भी है कि आरक्षण के उद्देश्यों के बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं।
- जहाँ तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये क्रीमीलेयर की व्यवस्था का प्रश्न है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले सभी आयामों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है।
- मसलन अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक उत्थान का पैमाना आय से संबंधित आँकड़ा नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नागराज मामले में दिये अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में बदल दिया था और क्रीमीलेयर की व्यवस्था केवल ओबीसी तक ही सीमिति कर दी थी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-deliver-verdict-on-quota-in-promotion>

